

उपायुक्त कार्यालय साहेबगंज
(जिला पंचायत कार्यालय, साहेबगंज)
संविदा आधारित नियुक्ति
विज्ञापन संख्या— 01 / 2019

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखंड, राँची के पत्र सं 1072 दिनांक—25.03.2017 के द्वारा 14वें वित्त आयोग अन्तर्गत संविदा आधारित कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णयोपरान्त एवं सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखंड, राँची के पत्रांक 41 दिनांक 04.01.2019 के निदेशानुसार वर्तमान में कुल 03 पद कनीय अभियंता 24 लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पद हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत हैः—

रिक्ति की विवरणी (कोटिवार) निम्नवत है

क्र 0 सं 0	पद का नाम	प्रखंडों की संख्या	नियुक्ति हेतु शेष रिक्ति की संख्या								अभ्युक्ति	
			SC			ST			OBC			
			बैकलॉक रिक्ति	सामान्य रिक्ति	कुल	बैकलॉक रिक्ति	सामान्य रिक्ति	कुल	BC -1	BC- 2		
1.	कनीय अभियंता	09	-	-	-	-	01	01	-	-	02 03	
2.	लेखा लिपिक—सह —कम्प्यूटर ऑपरेटर	09	-	-	-	09	07	16	01	-	07 24	

उपरोक्त पद पर नियुक्ति उपायुक्त, साहेबगंज के द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर की जायेगी।

—: शैक्षणिक योग्यता (कनीय अभियंता हेतु):—

1. **अनिवार्य योग्यता:**— मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत निर्धारित है।

(i). **वांछनीय योग्यता:**— संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता।

(ii). **उम्र सीमा:**— अधिकतम 40 वर्ष

नियुक्ति की प्रक्रिया उम्र की गणना की तिथि:—(Cut off Date) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से की जायेगी।

✓

(iii). जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में जिले के उपायुक्त द्वारा संविदा पर नियुक्ति की जायेगी।

(iv). नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय) अनुभव, Skill Test एवं कम्प्युटर टेस्ट के अंकों के कुल प्राप्ताकों के आधार पर होगी, जिसकी गणना विभाग द्वारा प्रदत्त मानकों के आधार पर की जाएगी।

—: शैक्षणिक योग्यता (लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर):—

2. अनिवार्य योग्यता:- पद के लिए अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0कॉम0 / बी0एस0सी0 (गणित/संखियकी) / बी0ए0 (गणित/संखियकी) अथवा समकक्ष डिग्री। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम अंक में 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।

(i). वांछनीय योग्यता:- संबंधित क्षेत्र में उच्चतर योग्यता एवं अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ii). उम्र सीमा:- उम्र सीमा निम्नवत होगी:-

- (A) सामान्य वर्ग के लिए:- 35 वर्ष
- (B) पिछड़ वर्ग के लिए:- 37 वर्ष
- (C) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए:- 40 वर्ष
- (D) महिला (सभी वर्गों के लिए):- 38 वर्ष

—:आवेदन पत्र समर्पित करने की प्रक्रिया:-

क्र०	पद का नाम	शुल्क की राशि	कोटि
1	कनीय अभियंता	500/-	पिछड़ा वर्ग/सामान्य श्रेणी (पुरुष एवं महिला)
		300/-	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)
2	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	500/-	पिछड़ा वर्ग/सामान्य श्रेणी (पुरुष एवं महिला)
		300/-	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)

उक्त रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु जिले के स्थानीय योग्य अभ्यार्थियों का आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी दिनांक 15.03.2019 के अपराह्न 05:00 बजे तक पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार अपना अभ्यावेदन (ड्राफ्ट सहित) विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर स्पीड पोस्ट अथवा निर्बंधित डाक से निर्धारित तिथि तक जमा करेंगे। नियुक्ति पदाधिकारी अल्प सूचना के आधार पर कभी भी संविदा कर्मी को सेवा से हटा सकने के लिए सक्षम होंगे। उक्त संबंधित विशेष जानकारी विभागीय अधिसूचना सं0 80 दिनांक 28.04.2016 के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया तथा आवेदन पत्र समर्पित करने के प्रक्रिया एवं आवेदन के लिए विहित प्रपत्र तथा संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मियों की सेवा शर्त निर्धारित है, जो जिले के वेबसाइट <http://www.sahibganj.nic.in> पर देखा जा सकता है।



आवेदन के साथ पद के अनुरूप शुल्क का भुगतान डिमान्ड फ्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा, जो उपायुक्त, साहेबगंज के पदनाम से भुगतेय होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन तथा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। 13वें वित्त आयोग के अवधि में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर यदि अन्य शर्तें पूरा करते हैं, तो समान अंक लाने वाले अभ्यर्थी के विरुद्ध प्राथमिकता दी जायेगी।

3. सेवा शर्तः—

- (i) प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा उस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति की इस परियोजनार्थ नवीकरण के लिए भी समिति मानी जायेगी।
- (ii) यदि कोई कार्यरत कनीय अभियंता/लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलक्षि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरतलेखा कनीय अभियंता/लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं हो तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलक्षि देकर कार्यरत कनीय अभियंता/लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर ऐसे कार्यरत कनीय अभियंता/लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी की वक्त समाप्त की जा सकेगी।
- (iii) उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मी को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (iv) संविदा अवधि का नवीकरण कर्मियों की क्षमता, निधि की उपलब्धता, कर्मियों की आवश्यकता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।
- (v) कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दी जायेगी।
- (vi) आवेदक को देय एक मुश्त वेतन के अन्तर्गत ही यात्रा, दुरभाष एवं इन्टरनेट की सुविधा भी सम्मिलित होगी।
- (vii) आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मी को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अन्दर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अन्तर्गत यात्रा व्यय भुगतान किया जायेगा।

✓

- (viii) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवकाश संविदा कर्मियों को देय होगा।
- (ix) नियुक्त कर्मियों को विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
- (x) विभाग एवं सरकार द्वारा समय—समय पर दिये गये अनुदेशों का अनुपालन करना नियुक्त कर्मियों का दायित्व होगा।

ज्ञापांक १७२/प०, साहेबगंज, दिनांक ८/३/१९

प्रतिलिपि:-जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं सभी समाचार पत्रों के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, साहेबगंज को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-उप विकास आयुक्त, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।


१०/०३/१९
उपायुक्त—सह—अध्यक्ष,
जिला चयन समिति,
साहेबगंज।

**उपायुक्त कार्यालय साहेबगंज
(जिला पंचायत शाखा)**

विज्ञापन सं0:-01 / 2019

आवेदन की अंतिम तिथि:-22.03.2019

14वें वित्त आयोग अन्तर्गत संविदा आधारित कनीय अभियंता एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों पर स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध दिनांक 22.03.2019 तक बन्द लिफाफे में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, साहेबगंज के पदनाम से निर्बंधित डाक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है:-

क्र0	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	योग्यता एवं अहर्ता	मासिक मानदेय
1.	कनीय अभियंता	03	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष डिग्री।	17000.00
2.	लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	24	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी०क०म००/बी०एस०सी० (गणित/संखियकी)/बी०ए०० (गणित/संखियकी) अथवा समकक्ष डिग्री।	10000.00

नियुक्ति से संबंधित अन्य शर्तें, पदीय अर्हता, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, आवेदन प्रपत्र इत्यादि का विवरण, साहेबगंज जिला के वेबसाईट www.sahibganj.nic.in पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन,

/०४/०७/११

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,
जिला चयन समिति,
साहेबगंज।

Application format

1. Post Applied for :-
2. Name of the Candidate :-
3. Father's Name :-
4. Nationality :-
5. State in which Domiciled/residendt:-
6. Address
 - (a) Permanent Address :-
 - (b) Correspondence address :-
7. E-mail Address :-
8. Mobile No :-
9. Caste :-
10. Age :-

11. Education Qualification / Desirable Qualification

Name of Exam	University/institute	Passing Year	Percentage

12. Experience

Name of Organization	Designation	From	TO


13. Note:- Documents related to Age, Proof of comicile/Residence, Caste, Qualification, ExperienceShould be self attested and attached.

Declaration

I hereby declare that all the statement information furnished & papers attached are true to best of my knowledge and belief. I have not been prosecuted or punished by any Court of law for any offence or involved/named/charge sheeted in any criminal or like case. If any of the information furnished by the undersingned is formed to be false, my candidature be deemed void and be appropriately penalized.

Singnature of the applicant.


 जिला पंचायत सरज पदाधिकारी
 साहिवगंज


 अधिकारी श्री अमृत
 साहिवगंज